संख्या-1313/15-7-08-16(45)/2008

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊः दिनांकः 04 जून, 2008

विषय :- संस्कृति पब्लिक स्कूल रानीडीहा,गोरखपुर को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रखेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है,तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

CHAIRMAN
SANSKRITI PUBLIC SCHOOL
RANIDIHA, GORAKHPUR

CHAIRMAN
SANSKRITI PUBLIC SCHOOL
RANIDIHA, GORAKHPUR

PRINCIPAL
SANSKRITI PUBLIC SCHOOL
RANIDIHA-GORAKHPUR

Principal
Saraswati Sr.Sec.Vidya Mandir
Deoria Khas, Deoria

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पृ०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक(मा०),उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,द्वादश मण्डल, गोरखपुर।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
4- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०,लखनऊ ।
5 प्रबंधक, संस्कृति पब्लिक स्कूल रानीडीहा,गोरखपुर।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

CHAIRMAN
SANSKRITI PUBLIC SCHOOL
RANIDIHA, GORAKHPUR

प्रेषक –

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

सेवा में,

प्रबन्धक,
संस्कृति पब्लिक स्कूल, रानीडीहा
दिव्यनगर, नगरक्षेत्र - गोरखपुर ।

पत्रांक / न0शि0अ0 / 1504-10 / 2007-08 दिनांक : 06/06/07

विषय:–प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार प्राथमिक स्तर की अस्थाई मान्यता, शासनादेश सं0–230 / 15–06–96–13 एस–(7) दिनांक 18.01.96 एव शासनादेश संख्या–1873(1) / 15–06–98–19 एस0(7) / 89 दिनांक 18.09.98 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2007–08 से प्रदान की जाती है ।

1. परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये ।
2. अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नही है । अतः अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन, अनुमति प्राप्त कर चालू सत्र में करा लिया जाय ।
3. अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाये, ।
4. बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बंद व समाप्त, स्थानान्तरित न किये जाये ।
5. विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क लिया जायेगा तथा उसका लेखा–जोखा रक्खा जायेगा।
6. इस कार्यालय के अनुमति के बिना किसी अर्ह प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नही की जायेगी ।
7. विभागीय नियमों एवं आदेशों के उलंघन तथा अनियमित कार्यो की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है ।
8. स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पांच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तो को पूरा करते हुए आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. नियमानुसार पॉच वर्ग मान्य होंगे।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

पृ0सं0 / न0शि0अ0 / 2007–08 दिनांक :

प्रतिलिपि – निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / विकलांग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर
3. नगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,क्षेत्र .. ..गोरखपुर ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Principal
Saraswati Sr.Sec.Vidya Mandir
Deoria Khas, Deoria

CHAIRMAN
SANSKRITI PUBLIC SCHOOL

PRINCIPAL
SKRITI PUBLIC SCHOOL
RANIDIHA-GORAKHPUR